तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रसन्न चन्द ओस्तवाल बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार भोपालगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 02/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी Prassan Chand Ostwal, No. 43, Strotten Muthia Mudali Street, 1st Floor, Sowcarpet, Chennai- 600079 ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.11.2017 में उसके द्वारा (1) ग्राम भोपालगढ स्थित ख.नं. 963 एवं 952 में श्री जैन रत्न माध्यमिक विद्यालय भोपालगढ को आवंटित की जा चुकी भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों से संपरिवर्तन/नियमन शुल्क जमा करावाये जाने के मामलं में उन प्रत्येक व्यक्तियों के मामले में संधारित संबंधित पत्रावलियों की, जिनमें तथाकथित अतिक्रमित बताकर संपरिवर्तन/नियमन की कार्यवाही तहसीलदार महोदय द्वारा प्रारम्भ की जाकर आज दिन तक लम्बित है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 42 दिनांक 18.01.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि आवेदक ने आवेदन में कुल 4 बिन्दुओं के बारे में सूचना चाही थी। आवेदन के बिन्दु सं. 1 से 3 में चाही गई सूचना सृजनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति की होने से दिया जाना संभव नही है तथा बिन्दु सं0 4 से संबंधित सूचना इस कार्यालय के पत्र कमांक/रीडर/2017/486 दिनांक 13.12.17 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ प्रार्थी प्रसन्नचंद को दी गई सूचना के संदर्भ में पत्रांक 486 दिनांक 13.12.17 की प्रति भी संलग्न की है, पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को नियत अवधि में सूचित नहीं किया गया तथा उसके बाद भी प्रार्थी का पता पूर्ण नहीं लिखते हुए प्रेषित की गई। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें पत्र प्राप्त नहीं हुआ होगा। अतः तहसीलदार भोपालगढ को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में करे। तहसील कार्यालय से प्राप्त पत्र की प्रति इस कार्यालय से प्रेषित किया जावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	